भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2021
उत्तर देने की तारीखः 11.03.2025

राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

2021. श्री भजन लाल जाटवः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उन विद्यार्थियों की संख्या एवं ब्यौरा क्या है जो अपनी छात्रवृत्ति प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं;
(ख) सरकार द्वारा राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और
(ग) उक्त योजनाओं पर राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय की जा रही है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग):

अनुसूचित जातियों के लिए

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राजस्थान सहित देश भर में अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

(i) एससी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी)
(ii) एससी और अन्य के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

ये योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं और इन्हें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड पर कार्यान्वित किया जा रहा है। छात्रवृत्ति की राशि का केंद्रीय हिस्सा तभी जारी किया जाता है जब केंद्रीय हिस्से के संवितरण के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर राज्य के हिस्से का भुगतान संबंधी डेटा प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक के दौरान जारी केंद्रीय हिस्से का विवरण नीचे दिया गया है:

है:

स्कीम का नाम	जारी केन्द्रीय हिस्सा (रुपए करोड़ में)		
	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 07.03.2025 तक)
अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	207.93	446.65	296.54
अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	4,392.50	5,475.43	4,433.87

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत जारी राज्यवार, केन्द्रीय हिस्से का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

अनुसूचित जातियों से संबंधित अन्य योजनाएं **अनुबंध-II** में दी गई हैं।

<u>अनुसूचित जनजातियों के लिए</u>

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह राजस्थान सहित पूरे देश में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए निम्नलिखित केंद्र प्रायोजित योजनाएं लागू कर रहा है:

i) एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (कक्षा IX और X)
ii) एसटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (कक्षा XI और उससे ऊपर)

ये योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। आवेदन आमंत्रित करना, सत्यापन करना और पात्र एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि का वितरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपेक्षित दस्तावेजों/अनुपालनों के साथ उनसे प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर केंद्रीय हिस्से की निधियां जारी करता है।

मंत्रालय राजस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/व्यय संबंधी विवरण (एसओई) के आधार पर राजस्थान को नियमित रूप से केन्द्रीय हिस्से की निधि (राजस्थान के मामले में 75%) जारी कर रहा है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान जारी की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

स्कीम का नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय हिस्सा (रूपये लाख में)		
	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 05.03.2025 तक)
एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	3530.80	--*	2236.11
एसटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	18810.10	22000.00	35000.00

* निधि जारी नहीं की जा सकी क्योंकि एसएनए खाते में अप्रयुक्त राशि उपलब्ध थी तथा राजस्थान सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी धनराशि का विवरण (राज्यवार) **अनुबंध-III** में दिया गया है।

अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अन्य योजनाएं **अनुबंध-IV** में दी गई हैं।

राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपनी छात्रवृत्ति की प्रतीक्षा कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का विवरण इस प्रकार है:-

योजना का नाम	लंबित आवेदनों का विवरण
एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	शैक्षिक वर्ष 2024-25 के लिए 57,037 आवेदन लंबित हैं।
एसटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	शैक्षिक वर्ष 2021-22- 14,773 शैक्षिक वर्ष 2022-23- 38,571 शैक्षिक वर्ष 2023-24- 1,07,156 शैक्षिक वर्ष 2024-25- 1,04,061 कुल 2,64,561 आवेदन लंबित हैं।

अनुबंध-I

वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी) के अंतर्गत जारी केंद्रीय सहायता और इसमें शामिल लाभार्थियों की संख्या।

(रूपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी केंद्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी केंद्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी केंद्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	29855.00	243823	37259.00	238915	20,049.99	195,269
2	असम	0.00	0	920.00	11140	1,390.34	8,426
3	बिहार	0.00	0	3754.00	136340	2,129.34	68,975
4	चंडीगढ़	154.00	899	242.00	876	59.25	287
5	छत्तीसगढ	2900.00	87464	4501.00	96267	3,613.57	79,237
6	दादरा और नगर हवेली	0.00	0	20.00	98	0	0
7	दिल्ली	0.00	0	1367.00	7531	997.34	3,160
8	गोवा	0.00	0	0.31	1	4.31	34
9	गुजरात	10258.00	97697	22026.00	113531	38,423.12	179,116
10	हरियाणा	0.00	0	13158.00	87913	12,058.49	70,464
11	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	1760.00	21502	2,240.61	23,959
12	जम्मू एवं कश्मीर	3.00	100	543.00	10097	468.21	7,370
13	झारखंड	412.00	7805	1818.00	33922	3,139.39	44,610
14	कर्नाटक	6542.00	131448	34200.00	458548	42,108.48	403,965
14	केरल	4578.00	90866	5682.00	42521	11,917.31	155,319
16	मध्य प्रदेश	828.00	48270	33505.00	445319	36,680.48	346,289
17	महाराष्ट्र	6301.00	68576	35942.00	148573	165,298.17	749,317
18	मणिपुर	0.00	0	734.00	8988	193.94	2,125
20	ओडिशा	7822.00	75530	33833.00	299369	12,744.10	143,861
21	पुदुचेरी	0.00	0	361.00	3904	285.47	2,564
22	पंजाब	20976.00	152157	6281.00	40708	28,486.98	199,508
23	राजस्थान	9567.00	217176	24138.00	303252	14,713.18	151,922
24	सिक्किम	0.00	0	76.00	448	52.29	216
25	तमिलनाडु	27888.00	441672	72625.00	543772	71,369.94	643,761
26	तेलंगाना	0.00	0	0.00	0	0	0
27	त्रिपुरा	0.00	0	3892.00	22278	4,093.43	16,858
28	उत्तर प्रदेश	53728.00	868554	92600.00	1269634	67,483.28	949,934
29	उत्तराखंड	0.00	0	1259.00	27735	1,293.69	23,804
30	पश्चिम बंगाल	11226.00	493099	6336.00	273953	6,248.09	268,228
	कुल	**193038**	**3025136**	**438832.00**	**4647135**	**547,542.79**	**4,738,578**

वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक अनुसूचित जातियों एवं अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी केंद्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी केंद्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी केंद्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5892	245595	0	0	5,613.69	221219
2	असम	0	418	0	0	0.44	14
3	बिहार	7534	473106	1426.97	132127	1,575.53	146660
4	चंडीगढ़	36	1634	45.64	1304	38.19	1097
5	छत्तीसगढ	0	0	0.00	0	888.40	41271
6	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	0	51	0.49	14	0.28	8
7	दिल्ली	699	3771	10.52	501	15.85	761
8	गोवा	0	29	0.13	6	0	0
9	गुजरात	5438	270489	1643.22	77116	5,758.60	273157
10	हरियाणा	0	0	0.00	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	374	16759	0.00	0	769.89	24536
12	जम्मू एवं कश्मीर	23	13359	0.00	0	54.00	2584
13	झारखंड	420	57745	0.00	0	0	0
14	कर्नाटक	7658	271576	4202.50	200119	4,920.58	235562
15	केरल	1092	61622	891.00	42003	255.60	11999
16	मध्य प्रदेश	4737.2	355000	0.00	0	0	0
17	महाराष्ट्र	0	0	0.00	0	0	0
18	मणिपुर	38	571	0.00	0	25.98	676
19	ओडिशा	2876	92329	645.71	29047	708.27	31486
20	पुदुचेरी	82	1349	0.00	0	14.73	704
21	पंजाब	3551	196843	1950.44	92604	2,165.37	103357
22	राजस्थान	3673	240500	0.00	0	2,822.77	135092
23	सिक्किम	2	54	0.00	0	0.25	8
24	तमिलनाडु	6064	341246	2212.22	104324	7,055.82	335642
25	तेलंगाना	221	26175	0.00	0	0	0
26	त्रिपुरा	30	10211	129.53	4075	66.65	2105
27	उत्तर प्रदेश	3732	320390	6010.71	373692	7,965.64	382766
28	उत्तराखंड	469	14368	0.00	0	312.17	9940
29	पश्चिम बंगाल	2377	223209	1624.06	77336	3,635.89	168896
	कुल	**57018.2**	**3238399**	**20793.13**	**1134268**	**44,664.60**	**2129540**

अनुबंध-II

1. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय): पीएम-अजय तीन केंद्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई), अनुसूचित जाति को विशेष केंद्रीय सहायता उपयोजना (एससीएसपी टू एससीए) और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) को मिलाकर बनाई गई योजना है और इसे वर्ष 2021-22 से कार्यान्वित किया गया है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके एससी समुदायों की गरीबी को कम करना और एससी बाहुल्य गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और अपेक्षित सेवाओं को सुनिश्चित करते हुए सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार लाना है।

वर्ष 2021-22 से पीएम-अजय के तहत जारी निधि

(रूपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आदर्श ग्राम	अनुदान सहायता	छात्रावास
1	आंध्र प्रदेश	6874.8	7803.81	126
2	असम	1810.2	2714	537.19
3	बिहार	0	6525.5	0
4	छतीसगढ	6206.8	1789.1	0
5	गुजरात	0	319.51	0
6	हरियाणा	2146.8	551	0
7	हिमाचल प्रदेश	1555.16	1520	0
8	जम्मू एवं कश्मीर	835.56	871.75	40.63
9	झारखंड	0	6880	0
10	कर्नाटक	13610.96	12991.5	1710
11	केरल	9.98	381.32	270.07
12	मध्य प्रदेश	5102.4	0	750
13	महाराष्ट्र	2951.6	2657.87	0
14	मणिपुर	3.2	144	700
15	मेघालय	0	0	0
16	मिजोरम	0	0	0
17	नागालैंड	0	0	4462.5
18	ओडिशा	13399.46	1012.4	750.6
19	पंजाब	6399.42	1724.9	0
20	राजस्थान	5570.54	4347.4	750
21	सिक्किम	0	566.5	350
22	तमिलनाडु	52332.63	30905.85	301.25
23	तेलंगाना	1561.7	3169.46	750
24	त्रिपुरा	185.11	473.85	962.5
25	उत्तर प्रदेश	55350.8	0	345
26	उत्तराखंड	2748.98	164.66	325
27	पश्चिम बंगाल	0	28651.19	0
28	चंडीगढ़	0	22.71	0
29	दिल्ली	0	0	0
30	पुदुचेरी	0	3.895	0
	कुल	**178656.1**	**121982.9**	**13130.74**

2. सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) (अत्याचार निवारण) {पीओए)} अधिनियम, 1989

अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए संसद द्वारा एक अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा किया जाता है। विभाग सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) (अत्याचार निवारण) {पीओए)} अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाता है, जिसके तहत पीसीआर अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह केंद्रीय सहायता मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रदान की जाती है:

(i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ तथा विशेष पुलिस थानों का कामकाज और सुदृढ़ीकरण के लिए।

(ii) विशिष्ट विशेष न्यायालयों की स्थापना और उनके कामकाज के लिए।

(iii) अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए।

(iv) अंतरजातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन, जहां पति-पत्नी में से एक अनुसूचित जाति का सदस्य हो।

(v) जागरूकता पैदा करने के लिए।

इस योजना का वित्तपोषण पैटर्न ऐसा है कि कुल व्यय केंद्र सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) के बीच उपर्युक्त (iii), (iv) और (iv) के लिए 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है, और उपर्युक्त (i) और (ii) के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों के अतिरिक्त कुल व्यय केंद्र सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल) के बीच 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल रहित) को 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त होती है।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना

(रूपये लाख में)

	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र		2021-22			2022-23			2023-24 (दिनांक 05.03.2025 के अनुसार)	
		व्यय	लाभार्थी		व्यय	लाभार्थी		व्यय	लाभार्थी	
			अत्याचार पीड़ितों को राहत	अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन		अत्याचार पीड़ितों को राहत **(अनुमानित)**	अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन **(अनुमानित)**		अत्याचार पीड़ितों को राहत **(अनुमानित)**	अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन **(अनुमानित)**
1	आंध्र प्रदेश	920	6062	0	1183.27	11442	378	*1467.4122*	3048	1022
2	असम	10	0	132	0	2	100	*54.375*	2	0
3	बिहार	3500	9825	0	4489	7243	0	3762.8064	14795	0
4	छतीसगढ	1983.905	1093	921	1010.97	1529	551	1337.5322	1079	824
5	गोवा	3	1	17	0	0	0	24.625	0	10
6	गुजरात	1978.625	2174	1005	424.7	1623	1170	2980.875	2195	1599
7	हरियाणा	1821.2	1610	906	2981.56	2014	1441	2943.0456	1601	794
8	हिमाचल प्रदेश	314.955	329	615	357.25	341	629	260.52	410	816
9	झारखंड	319.336	1000	0	0	556	0	81.35038	300	0
10	कर्नाटक	6185.26	2582	6079	3098.5	3090	3651	4000.3738	3740	4054
11	केरल	1763.52	1177	2650	240.84	1492	1553	1131.7538	445	736
12	मध्य प्रदेश	10341.531	10081	1015	3182.23	6582	407	6348.534	10834	1198
13	महाराष्ट्र	773	3339	2932	1283.04	2869	0	3727.6528	3339	440
14	ओडिशा	4408.705	2768	2428	2145.82	3135	1791	5802.794	2647	3641
15	पंजाब	780.491	23	0	0	119	0	0	158	1412
16	राजस्थान	7163.451	20574	494	6586.54	15474	610	4255.3429	7308	282
17	सिक्किम	0.83	0	17	0	0	16	4.65875	0	20
18	तमिलनाडु	3544.945	2939	2217	1788.09	3870	1282	3659.4497	5586	2392
19	तेलंगाना	1717.93	2284	1010	936.47	2500	119	899.53656	2332	243
20	त्रिपुरा	20.33	3	18	0	9	6	11.03125	0	14
21	उत्तर प्रदेश	12671.715	20278	0	9153.75	23828	0	9795.3513	19240	0
22	उतराखंड	78.3	103	0	0	116	0	100.48575	154	0
23	पश्चिम बंगाल	87	556	1380	23.94	319	334	369.19359	347	1153
24	चंडीगढ़	71	0	25	170.5	0	65	173	0	50
25	दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव	0	0	0	15	0	0	0	0	0
26	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7.45	21	0	40.52	0	0	18	65	0
27	जम्मू एवं कश्मीर	93.2	0	0	0	0	0	0	7	12
28	लद्दाख	12	0	0	0	0	0	0	0	0
29	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	पुडुचेरी	365.63	37	201	33.95	19	122	138.7614	35	371
31	एनएचएए	0	0	0	124.78	0	0	181.59732	0	0
32	प्रचार (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)	73.79	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**61011.099**	**88859**	**24062**	**39270.72**	**88172**	**14225**	**53530.059**	**79667**	**21083**

3. लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा स्कीम (श्रेष्ठ)

लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा स्कीम (श्रेष्ठ) नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सरकार के विकास प्रयासों की पहुंच को बढ़ाना और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों (एनजीओ द्वारा संचालित) और आवासीय उच्च विद्यालयों को अनुदान सहायता के प्रयासों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति (एससी) बाहुल्य वाले क्षेत्रों में सेवा की कमी को दूर करना है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए माहौल प्रदान करना है। इसके अलावा, यह योजना प्रतिभाशाली एससी छात्रों को देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में पढ़ने के लिए आसान पहुँच प्रदान करती है, जिससे उनके भविष्य के अवसर सुरक्षित होते हैं।

2. इस योजना के तहत, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है, तथापि, मोड-1 में अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश देने पर कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूरी करने के लिए निजी आवासीय विद्यालयों को शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है तथा मोड-2 में, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूल/छात्रावास परियोजना में अनुसूचित जाति के छात्रों को आवासीय और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए संगठनों को निधि जारी की जाती है।

श्रेष्ठ के अंतर्गत राज्यवार जारी की गई निधियां निम्नानुसार है;

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधि 2021-22		जारी निधि 2022-23		जारी निधि 2023-24	
		मोड-1	मोड-2	मोड-1	मोड-2	मोड-1	मोड-2
1.	आंध्र प्रदेश	78.77	139.55	209	52.32	530.53	136.71
2.	बिहार	192.75	0	246.1	0	142.29	0
3.	छतीसगढ	51.50	0	154.5	0	274.75	0
4.	गुजरात	0.62	14.09	23.95	7.67	32.18	0
5.	हरियाणा	3.25	5.50	62.17	13.01	361.62	0
6.	हिमाचल प्रदेश	9.25	0	42.64	0	67.4	0
7.	झारखंड	33.09	0	129.6	0	70.71	0
8.	कर्नाटक	47.54	280.05	37.42	242.35	54.45	400.07
9.	केरल	2.20	0	232.9	0	339.99	0
10.	मध्य प्रदेश	52.75	123.32	225.4	28.47	326.91	52.37
11.	महाराष्ट्र	16.05	488.58	119.3	624.99	147.02	731.48
12.	उड़ीसा	96.22	239.99	211.7	203.66	155.28	329.79
13.	पंजाब	0	0	20.25	0	48.25	0
14.	राजस्थान	57.95	292.99	264.5	222.40	936.52	349.93
15.	तमिलनाडु	36.32	117.96	227.1	119.92	404.64	0
16.	उत्तर प्रदेश	246.86	799.58	470	564.38	867.25	807.40
17.	उत्तराखंड	23.26	20.04	52.55	9.71	60.38	34.26
18.	पश्चिम बंगाल	0	106.55	13.75	24.79	12.5	76.25
19.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	81.62	0	105.82	0	155.10
20.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	2.25	0	2.45	0
21.	पुडुचेरी	0	0	8.52	0	9.8	0
22.	असम	5.58	59.28	15.4	48.64	6	0
23.	मणिपुर	0	14.31	0	0	0	11.00
24.	तेलंगाना	0	39.81	27.51	26.67	64.29	32.47
25.	मेघालय	0	24.87	0	21.66	0	0
26.	त्रिपुरा	2.00	0	0	0	0	0
	कुल योग	**955.96**	**2848.09**	**2796.51**	**2316.46**	**4915.21**	**3116.83**

* योजना को वर्ष 2021-22 में संशोधित किया गया और योजना में मोड-1 नामक घटक को शामिल किया गया।

4. यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस)

यह विभाग अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए "यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस)" की केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना का कार्यान्वयन करता है, जिसमें 4 उप-योजनाएं शामिल हैं, अर्थात् एससी के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा (टीसीएस), एससी, ओबीसी और पीएम केयर्स चिल्ड्रन स्कीम के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग (एफसीएस), अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना (एनओएस), अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएससी)।

इन 04 उप-योजनाओं में से, 03 उप-योजनाएँ अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा (टीसीएस), अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना (एनओएस), अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएससी) छात्रवृत्ति योजनाएँ हैं।

केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, इस योजना के तहत राज्यवार निधि आवंटित नहीं की जाती है। इसलिए, इन तीनों छात्रवृत्ति उप-योजनाओं में से किसी के संबंध में कोई राज्यवार या जिलावार डेटा नहीं रखा जाता है। हालाँकि, इन तीनों उप-योजनाओं के साथ-साथ 3 वर्षों की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

एससी छात्रों के लिए उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति (टीसीएस)

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह योजना देश के 273 शीर्ष श्रेणी के प्रमुख संस्थानों जैसे कि सभी आईआईएम/ आईआईटी/ आईआईआईटी/ एम्स/ एनआईटी/ एनआईएफटी/ एनआईडी/ आईएचएम /एनएलयू और अन्य केंद्र सरकार के संस्थानों, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) A++ और A+ मान्यता प्राप्त संस्थानों और शीर्ष 100 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों की सहायता करती है।

पिछले तीन वर्षों में योजना की वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (रुपए करोड़ में)	किया गया व्यय (रुपए करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	2021-22	70.00	84.72	4544
2.	2022-23	108.00	85.67	4171
3.	2023-24	111.0	83.84	3969

अनुसूचित जाति आदि के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना

एनओएस के तहत अनुसूचित जातियों, विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी से संबंधित कम आय वाले छात्रों को विदेश में

अध्ययन करके उच्च शिक्षा अर्थात मास्टर डिग्री या पीएचडी पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होता है। इस योजना के तहत वार्षिक आवंटित कुल स्लॉट 125 हैं, जिनमें से 115 स्लॉट अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए आरक्षित हैं, 06 स्लॉट विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए आरक्षित हैं और 04 स्लॉट भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों कारीगरों के उम्मीदवारों के लिए हैं।

पिछले तीन वर्षों में योजना की वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	चयनित उम्मीदवार	बजट अनुमान (रुपए करोड़ में)	किया गया व्यय (रुपए करोड़ में)
1	2021-22	125	30.00	49.07
2	2022-23	125	36.00	86.59
3	2023-24	125	50.00	88.56

<u>अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएससी)</u>

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है। यह योजना हर साल 2000 नए स्लॉट (विज्ञान के लिए 500 और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए 1500) ऐसे अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रदान करती है जिन्होंने यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा-जूनियर रिसर्च फेलोशिप (नेट-जेआरएफ) या यूजीसी-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (यूजीसी-सीएसआईआर) नेट-जेआरएफ संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

गत तीन वर्षों के दौरान योजना की वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	बजट अनुमान (रुपए करोड़ में)	किया गया व्यय (रुपए करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	2021-22	300.00	127.85	3706
2.	2022-23	173.00	134.07	3608
3.	2023-24	163.00	199.82	4166

अनुबंध-III

अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उनके लाभार्थियों को जारी की गई निधियों का विवरण

(रू. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.35	330		386		193
2	आंध्र प्रदेश	8991.45	117089	13356.50	129032	11471.08	114524
3	अरुणाचल प्रदेश	12360.50	44144	9616.49	46330	8000.00	43209
4	असम	1093.40	37370	6845.47	62102	3500.00	37182
5	बिहार		16156		3349		1206
6	छतीसगढ		173228	9330.35	162336	7125.00	118875
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव		3352		2208	403.75	1053
8	गोवा		4047	1187.23	5199	526.54	3275
9	गुजरात	46170.25	259360	24426.38	179226	35000.00	244602
10	हिमाचल प्रदेश		3332		4303		4390
11	जम्मू एवं कश्मीर		8335	683.57	10772	746.25	7282
12	झारखंड	12654.88	121601		137570	5310.66	137570
13	कर्नाटक	17080.51	133748		131702	22556.05	126637
14	केरल	2516.49	14558		17652	4689.34	12721
15	लद्दाख	2214.00	8631	1891.27	8619	596.25	9795
16	मध्य प्रदेश	24529.43	426996	27048.58	234736	35000.00	225239
17	महाराष्ट्र	19214.82	105693	9026.85	106817	57035.80	130359
18	मणिपुर	4292.15	47793	4137.54	42567	3000.00	33542
19	मेघालय	2636.09	52598	14619.79	67026	8500.00	76755
20	मिजोरम	3874.64	33267	2590.31	38872	2500.00	31685
21	नागालैंड	4435.75	40588	3608.43	40638	3500.00	42774
22	ओडिशा	21842.98	207678	17133.30	204172	13564.10	213957
23	पुदुचेरी		50				
24	राजस्थान	13744.70	188614	18810.10	236628	22000.00	168516
25	सिक्किम	1036.28	4457	925.44	2650		1849
26	तमिलनाडु	4849.38	24441	2854.28	23529	2000.00	22675
27	तेलंगाना	7503.90	126708	23851.18	114911	11250.00	131505
28	त्रिपुरा	7188.77	35911	4522.33	37380	4000.00	34464
29	उत्तर प्रदेश		18938		6427	1000.00	8656
30	उत्तराखंड	3568.37	3760		3534	187.50	3972
31	पश्चिम बंगाल	3872.05	78100		63198	3405.83	
	कुल	**225681.13**	**2340873**	**196465.38**	**2123871**	**266868.15**	**1988462**

अनुसूचित जनजातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उनके लाभार्थियों को जारी की गई निधियों का विवरण							
							(रु.लाख में)
क्र.सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी
1	अंडमान और निकोबार	8.03	199		386		193
2	आंध्र प्रदेश	3935.06	40465		40465	5700.16	83666
3	अरुणाचल प्रदेश	207.30	5811	267.44	7105		3879
4	असम	102.19	2656	107.41	5688	187.50	4353
5	बिहार		42679		26450		8451
6	छतीसगढ		136546		28868	5250.00	44837
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	206.62	2167		2017		1273
8	गोवा		1978	108.18	2108	52.50	1670
9	गुजरात	3689.18	184803	5451.67	137705	6200.00	90755
10	हिमाचल प्रदेश		2160	79.02	2479	110.00	2616
11	जम्मू एवं कश्मीर		5883		4999		4650
12	झारखंड	3899.03	136830		117439	5700.00	97487
13	कर्नाटक	1753.16	92742	2370.04	98393	3400.00	96880
14	केरल	347.07	7071		7604	436.46	7323
15	लद्दाख	74.22	1439		760		2884
16	मध्य प्रदेश	11458.18	328961	12743.85	253961		256701
17	महाराष्ट्र*						
18	मणिपुर		3038		1836		3470
19	मेघालय		2406	115.48	1776		5590
20	मिजोरम	657.47	8148		10312	306.89	8911
21	नागालैंड		1354				
22	ओडिशा	5236.75	137545	9397.06	79252		106691
23	पुदुचेरी		38				
24	राजस्थान	6234.34	191728	3530.80	55667		76272
25	सिक्किम		296	17.84	49		62
26	तमिलनाडु	546.55	16854	404.46	15325	362.34	17580
27	तेलंगाना		3066		9255	150.00	2460
28	त्रिपुरा	58.55	17544	1136.76	15017		12115
29	उत्तर प्रदेश	88.17	3528		1579		2329
30	उतराखंड		1287		1464	15.00	902
31	पश्चिम बंगाल	912.51	28034		22691	2988.85	
	कुल	**39414.37**	**1407256**	**35730.00**	**950650**	**30859.70**	**944000**

* राज्य बिना केंद्रीय सहायता के योजना का क्रियान्वयन कर रहा है।

<u>**अनुबंध-IV**</u>

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बीच बुनियादी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। **ये योजनाएं राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र में भी कार्यान्वित की जाती हैं:-**

i) एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)
ii) एसटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर)
iii) एसटी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप।
iv) एसटी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (उच्च श्रेणी)
v) एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति।

ऊपर उल्लिखित योजनाओं में से, क्रम संख्या (i) से (ii) तक की छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा लागू की जाती हैं। प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं दोनों ही ओपन एंडेड योजनाएं हैं, जिसमें कक्षा 9वीं से पीएचडी तक की पढ़ाई करने वाले सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिनके माता-पिता की आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है। आवेदन आमंत्रित करना, सत्यापन, लाभार्थियों का चयन करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर और वित्तीय और वास्तविक प्रगति की जांच करने के बाद धनराशि जारी करता है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सभी पात्र एसटी छात्रों के बैंक खाते में डीबीटी मोड के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि वितरित करते हैं।

क्रम संख्या (iii) और (iv) में दी गई योजनाएं जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। इन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत स्लॉट और निधियों का कोई राज्यवार आवंटन नहीं है। एसटी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति के तहत, छात्रों/संस्थानों को डीबीटी मोड के माध्यम से सीधे फंड जारी किए जाते हैं, जबकि क्रम संख्या (v) में दी गई योजनाएं एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति विदेश मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं, दूतावासों के माध्यम से विदेशों में पढ़ रहे एसटी छात्रों को निधियां जारी की जाती हैं, इसके अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय विदेश मंत्रालय को निधि की प्रतिपूर्ति करता है।

2. छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तृत विवरण

क. भारत में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति.

इस योजना में विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक, तकनीकी तथा गैर-व्यावसायिक और गैर-तकनीकी पाठ्यक्रम शामिल हैं। यह योजना वर्ष 1944-45 के दौरान शुरू की गई थी और तब से इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है।

मुख्य विशेषताएं:

- यह राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए केंद्रीय सहायता 75:25 (उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 और विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय सहायता) है।
- यह योजना पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट-सेकेंडरी स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- यह छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध है।
- आवेदक जिस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, वह सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

पात्रता:

- यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।
- **छात्रवृत्ति के 2 घटक हैं: -**

i) **शिक्षण शुल्क**: राज्य की राज्य स्तरीय निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार। निजी क्षेत्र के संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के मामले में, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रति छात्र 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष तथा एमबीबीएस/एमएस/एमडी पाठ्यक्रमों के लिए 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तथा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 1.00 लाख रुपये प्रति वर्ष की सीमा होगी, जहां तक भारत सरकार की सहायता का संबंध है।

ii) वजीफा भत्ता नीचे उल्लिखित है:-

समूह	पाठ्यक्रम	छात्रावासी		डे स्कॉलर	
		मासिक	वार्षिक	मासिक	वार्षिक
समूह I	विभिन्न विषयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातक, मास्टर डिग्री, एमफिल/पीएचडी डिग्री से लेकर डिग्री, पीजी डिप्लोमा तक	1200	12000	550	5500
समूह II	कला, विज्ञान और वाणिज्य में समूह I के अंतर्गत शामिल न होने वाले बैचलर, मास्टर डिग्री, एमफिल/पीएचडी डिग्री उन्मुख सभी गैर-पेशेवर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम जैसे बीए/बीएससी/बी.कॉम या एमए/एमएससी/एम.कॉम	820	8200	530	5300
समूह III	व्यावसायिक स्ट्रीम, आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, आदि।	570	5700	300	3000
समूह -IV	सभी पोस्ट-मैट्रिक स्तर के गैर-डिग्री पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश योग्यता हाई स्कूल (कक्षा दसवीं) है, जैसे वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा XI और XII)।	380	3800	230	2300

ख. कक्षा IX और X में पढ़ने वाले जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 1.7.2012 से कार्यान्वित की जा रही है और इसका उद्देश्य कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा में सहायता करना है ताकि ड्रॉप-आउट की घटनाओं को कम किया जा सके, खासकर प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर संक्रमण के दौरान। इस योजना को वर्ष 2021-22 से संशोधित किया गया है।

मुख्य विशेषताएं:

- यह राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र देश प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को 75:25 (उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 और विधानमंडल रहित संघ शासित प्रदेशों को 100% केंद्रीय सहायता) के अनुपात में केंद्रीय सहायता भारत सरकार से उपलब्ध है।
- यह छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध है।
- आवेदक जिस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, वह छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
- इस योजना का उद्देश्य प्री मैट्रिक चरण की कक्षा IX और X में एसटी बच्चों की भागीदारी में सुधार करना है, ताकि वे बेहतर प्रदर्शन करें और शिक्षा के पोस्ट मैट्रिक चरण में आगे बढ़ने का बेहतर मौका पाएं।

पात्रता:

- यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।
- वह सरकारी स्कूल या सरकार या केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित, पूर्णकालिक छात्र होना चाहिए।

लाभ:

- छात्रवृत्ति का भुगतान दैनिक छात्रों के लिए 225 रुपये प्रति माह और छात्रावासियों के लिए 525 रुपये प्रति माह की दर से किया जाता है, जो वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए होता है।
- पुस्तकें और तदर्थ अनुदान का भुगतान दैनिक छात्रों के लिए 750 रुपये प्रति वर्ष और छात्रावासियों के लिए 1000 रुपये प्रति वर्ष की दर से किया जाता है।
- छात्रवृत्ति के अलावा, छात्रावास में रहने वाले दिव्यांगजन छात्र को 800 रुपये प्रति माह (9600 रुपये वार्षिक) और दैनिक छात्र को 600 रुपये प्रति माह (7200 रुपये वार्षिक) का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है।

ग. <u>अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति</u>

यह अनुसूचित जनजाति के छात्रों को एम.फिल. और पी.एच.डी. जैसे उच्च अध्ययन के लिए फेलोशिप प्रदान करने की एक केंद्रीय योजना है। यह योजना वर्ष 2005-06 में शुरू की गई थी।

मुख्य विशेषताएं:

- यह योजना यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में पीएचडी जैसे उच्च अध्ययन में एसटी छात्रों की सहायता करती है।
- यह फेलोशिप यूजीसी फेलोशिप की तर्ज पर है जो पीएचडी पाठ्यक्रमों में नियमित पूर्णकालिक शोध छात्रों को प्रदान की जाती है।
- प्रत्येक वर्ष नई फेलोशिप की कुल संख्या 750 है।
- फेलोशिप राशि उम्मीदवारों को डीबीटी मोड में वितरित की जाती है।
- राशि में फेलोशिप, आकस्मिक व्यय, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एस्कॉर्ट/रीडर सहायता और यूजीसी पैटर्न पर एचआरए शामिल हैं।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाता है।

पात्रता:

- अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।
- छात्र को निर्धारित मानदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थानों में नियमित पूर्णकालिक पीएचडी डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश और पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए।
- एक बार फेलोशिप के लिए पात्र माने जाने वाले एसटी छात्र को उसी अध्ययन के लिए केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

लाभ:

- पीएचडी के लिए फेलोशिप की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है
- पीएचडी के दो वर्षों के लिए फेलोशिप 37000/- रुपये प्रति माह की दर से और पीएचडी के शेष तीन वर्षों के लिए 42000/- रुपये प्रति माह की दर से और यूजीसी दरों के अनुसार अन्य भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

घ. <u>अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (उच्च श्रेणी की शिक्षा)</u>

यह अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना है, जिसे शैक्षणिक वर्ष 2007-08 से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित किसी भी संस्थान में डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है।

मुख्य विशेषताएं:

- इससे 265 चिन्हित गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी एसटी छात्रों की सहायता मिलती है।
- एक बार प्रदान की गई छात्रवृत्ति संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन पाठ्यक्रम पूरा होने तक जारी रहती है।
- छात्रवृत्ति की राशि में ट्यूशन फीस और प्रवेश शुल्क, पुस्तकें और स्टेशनरी, वजीफा और कंप्यूटर और सहायक उपकरण खरीदने के लिए एकमुश्त सहायता शामिल है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाता है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एसटी छात्रों / संबंधित संस्थान को सीधे डीबीटी मोड में फंड जारी किया जाता है।

पात्रता:

- सभी स्रोतों से छात्र की कुल पारिवारिक आय 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अनुसूचित जनजाति के केवल वे छात्र जिन्होंने अधिसूचित संस्थानों से प्रवेश लिया है, छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।

लाभ:

- सरकारी/सरकारी वित्तपोषित संस्थानों के मामले में ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, अन्य गैर-वापसी योग्य शुल्क की पूरी राशि का भुगतान किया जाता है। निजी क्षेत्र के संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के मामले में प्रति छात्र प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये की सीमा लागू होगी।
- प्रति छात्र अधिकतम 36000/- रुपये प्रति वर्ष (3000/- रुपये प्रति माह की दर से) वजीफा दिया जाता है।
- पुस्तकों और स्टेशनरी पर व्यय प्रति छात्र प्रति वर्ष 5000/- रुपये की दर से किया जाता है।
- पूरे पाठ्यक्रम के दौरान एक बार की सहायता के रूप में 45,000/- रुपये तक सीमित सहायक उपकरण के साथ कंप्यूटर की लागत का भुगतान छात्र को किया जाता है।

ङ. **अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति**

यह योजना स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टोरल शोध कार्यक्रमों के लिए विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गए छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना वर्ष 1954-55 के दौरान शुरू की गई थी। मंत्रालय ने अपने कुछ प्रावधानों को संशोधित किया है ताकि इसे एसटी छात्रों के लिए उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के संदर्भ में अधिक लाभकारी बनाया जा सके। इस योजना को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। चयनित उम्मीदवारों को विदेशी विश्वविद्यालय आदि द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन और अन्य शैक्षिक फीस, मेन्टेनेंस और यात्रा व्यय के साथ अन्य अनुदान दिए जाते हैं। चयनित उम्मीदवारों को मंत्रालय द्वारा विदेश में भारतीय मिशनों के माध्यम से सीधे 100 प्रतिशत आधार पर अनुदान दिया जाता है। यह योजना इकोनॉमी क्लास में भारत से आने-जाने और वापस आने के लिए अनुदान प्रदान करती है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. प्रत्येक वर्ष 20 अवार्ड स्वीकृत किए जाते हैं, जिनमें से 17 अवार्ड एसटी छात्रों और 3 पीवीटीजी छात्रों को स्वीकृत किए जाते हैं।

ख. छात्रवृत्ति अवार्ड का 30% महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि, यदि पर्याप्त महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो अप्रयुक्त स्लॉट पात्र पुरुष उम्मीदवारों के लिए खुल जाएंगे।

ग. यदि चयनित छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश लेने में विफल रहता है, तो ऐसे मामलों में रिक्त रहने वाले स्लॉट अगले चयन वर्ष में ले जाए जाएंगे।

घ. शैक्षिक और आयु मानदंड: -

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	अंक एवं शैक्षिक योग्यता	चयन वर्ष की 1 जुलाई को अधिकतम आयु
1.	पोस्ट-डॉक्टोरल अनुसंधान	संगत मास्टर डिग्री* में 55% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ पीएच.डी.	38 वर्ष
2.	पी.एचडी	संगत मास्टर डिग्री में 55% अंक या समकक्ष ग्रेड	35 वर्ष
3.	मास्टर	संगत स्नातक डिग्री में 55% अंक या समकक्ष ग्रेड	32 वर्ष

ग. आय मानदंड: यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिनके परिवार की सभी स्रोतों से आय 6,00,000/- रुपये (मात्र छह लाख रुपये) प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।

घ. चयनित छात्रों को प्रति वर्ष 9,900 पौंड (यू.के. के लिए), 15,400/- अमेरिकी डालर (यू.एस.ए. और अन्य देशों के लिए) का मेन्टेनेंस भत्ता प्रदान किया जाता है। ट्यूशन फीस

फीस और अन्य गैर-वापसी योग्य फीस, जो पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए छात्र द्वारा वास्तविक रूप से अनिवार्य रूप से भुगतान की जानी होती है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जारी अनुदान सहायता और शमिल किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा.

रुपये करोड़ में

2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी
2.0	29	4.76	30	4.95	46	4.0	44	7.00	65

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के अंतर्गत जारी अनुदान सहायता और कवर किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा।

रुपये करोड़ में

2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी
81.00	2552	90.70	2625	84.83	2693	110.52	2938	159.56	2975

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उच्च शिक्षा (उच्च श्रेणी शिक्षा) के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जारी अनुदान सहायता और कवर किए गए लाभार्थियों का विवरण।

रुपये करोड़ में

2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी
19.0	1914	29.3	2449	35.17	2751	34.48	2828	70.44	5429

******